सेवा में,   S.D. North West Distt Dz No. 18375 Dt. 18/8/18

जन सूचना अधिकारी

~~अपलाउ लोक सूचना अधिकारी पुलिस (प्रधान) उत्तरी पश्चिमी जिला~~

अशोक विहार दिल्ली 110052

MOST URGENT
WITH 48 hrs
Reply-only by speed post
Date:-

DCP
Addl.DCP-I
Addl.DCP-II
Inspr. Admn
Branch RTI

विषयः– जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (1) एवं 7(5) के अंतर्गत 48 घंटे के सीमाबद्ध समय में एवं निशुल्क सूचना प्रदान करने के संबंध में।

No. 2672 R.T.I./Cell/N.W. Distt.
Dt. 18.08.17

माननीय महोदय,

प्रार्थी केन्द्रीय कारागार सं 4 तिहाड़ नई दिल्ली में विचारधीन बंदी के रूप में न्यायिक हिरासत में बंद है। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचनाएं मेरे जीवन एवं मेरी आजादी से संबंधित है। जिन सूचनाओं के 48 घंटों में न मिलने पर भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिक को प्रदान किये गये प्रदत्त अधिकारों का धारा 20 एवं 21 के अंर्तगत, उलंघन है इसलिए मांगी सूचनाएं, सूचना के अधिकर के अधिनियम के अंर्तगत धारा नं. 7(1) के अनुसार 48 घंटों में प्रदान करवाई जाये।

प्रार्थी काफी समय से, केन्द्रीय कारागार सं 4 तिहाड़, नई दिल्ली– 64 में बंद होने के कारण किसी तरह की कोई आय नहीं है इसलिए प्रार्थी गरीबी रेखा के नीचे स्तर बी.पी.एल का जीवन यापन कर रहा हूँ बंदी होने के कारण बंदी कारागार के माध्यम से बी.पी.एल कार्ड बनवाने के लिए प्रार्थी को व्यक्तिगत रूप से सक्षम अधिकरी के समय प्रस्तुत होना पड़ता है जो कि असम्भव है। इसलिए सूचना के अधिकार अधिनियम के अंर्तगत धारा 7 (5) के अनुसार प्रार्थी, बिना बी.पी.एल कार्ड के, निशुल्क सूचना पाने का अधिकर है एवं इससे सबंधित एक पत्र, पत्रांक नं आर.टी. आई/4097/2014 पी.एम.आर. दिनांक 15,07,2014 जो प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लाक, नई दिल्ली द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जारी किया गया है जिसमें **"fees are exempted for prisoners"** के भी निर्देश पारित किये गये है।

इसलिए प्रार्थी बंदी होने की वजह से सूचना का अधिकार अधिनियम की धरा 7(5) के अनुसार निशुल्क सूचना पाने का अधिकार एवं पात्र है।

अगर प्रार्थी को सूचना सीमाबद्ध सीमा 48 घंटो में एवं निशुल्क न मिलने पर, मेरे सूचना के अधिकार का हनन होता है इसलिए प्रार्थी को अपील में जाने का अधिकर 48 घंटो की समय सीमा के बाद, सूचना के अधिकार की धारा 19 के अनुसार प्राप्त होता है एवं सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंर्तगत रूप्ये 250/– प्रतिदिन देरी से, रूपये 25000/– तक के जुर्माने का प्रावधान एवं रूपये 5000/– के खर्चे हर्जे भुगतान करने की जिम्मेदारी संबंधित जनसूचना अधिकारी।

Most Urgent
ACP/SP to reply within 1 days

Rakesh s/o Ram Chander

Scanned by CamScanner